



भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

स्पीड पोस्ट

No. WII/RTI/CPIO/2018-19(Qtr-II)/34

Dated 10.08.2018

सेवा में,

श्री राम सिंह कनवाल,
पुत्र स्व० श्री बचे सिंह कनवाल,
ग्राम - खात्याडी, गोनाखोला,
(नौधारा)
पोस्ट - अल्मोड़ा - 263601

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना चाहने के बाबत -
सन्दर्भ - आपका पत्र संख्या शून्य दिनांक 10.07.2018 जो कि इस संस्थान को 14.07.2018 को प्राप्त हुआ।

महोदय,

संदर्भित RTI का अवलोकन करने की कृपा करें जो कि इस संस्थान को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने के लिए प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गई सूचनाओं का बिन्दुवार उत्तर संस्थान के सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है जो कि 15 प्रष्ठों में इस पत्र के साथ संलग्न है।

अगर आप उक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत अधोलिखित अपीलीय प्राधिकारी को एक माह के भीतर अपील कर सकते हैं - डॉ० वि०बि०माथुर, निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी, देहरादून - 248001, दूरभाष न० 0135-2640910, 2646102.

धन्यवाद,

भवदीय
अंजू बारोठ
(डा० अंजू बारोठ) 10/08/18

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न - 15 प्रष्ठ

वाल्मोडिनी
10/8/2018

स्पीड पोस्ट
SPEED POST

RTI-34

पत्रपेटी सं० 18, चन्द्रबनी, देहरादून - 248001, उत्तराखण्ड, भारत
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun - 248001, Uttarakhand, INDIA
ई.पी.ए.बी.एक्स : +91-135-2640114, 2640115, 2646100 फ़ैक्स : 0135-2640117
EPABX : +91-135-2640114, 2640115, 2646100; Fax : 0135-2640117;
ई-मेल / E-mail: wii@wii.gov.in, वेब / website: www.wii.gov.in

भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून

(182+16)
198

No. : A/2-31/2005-WII (Vol III)

दिनांक : ०४ अगस्त 2018

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

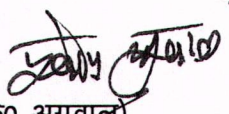
सन्दर्भ: लोकसूचना अधिकारी के दिनांक 03 अगस्त 2018 के पत्रांक के सम्बन्ध में।

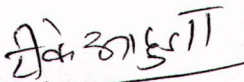
उपरोक्त सन्दर्भ में श्री राम सिंह, कनवाल, ग्राम खत्याडी,, जिला अल्मोडा द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार सूचना इस प्रकार है :-

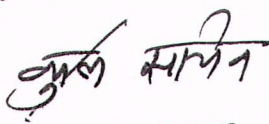
प्रश्न	उत्तर
(1) महोदय, आपके संस्थान में कार्यरत अस्थाई दर्जा कर्मचारियों को दिया गया पिछले तीन माह की वेतन का विवरण एवं वेतन की (Accountance) की कापी देने की कृपा करें।	(1) संस्थान में वर्तमान में कार्यरत दैनिक श्रमिकों अस्थाई स्टेटस (Temporary Status) के तीन माह के वेतन बिलों की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-I)
(2) महोदय, संस्थान द्वारा इन कर्मचारियों (अस्थाई दर्जा) को ड्यूटी हेतु दिया गया समय का विवरण (जैसे सुबह कितने बजे ड्यूटी रिपोर्ट करना है व शाम को कितने बजे बाद संस्थान से जाना है।	(2) संस्थान में कार्यरत दैनिक श्रमिकों अस्थाई स्टेटस (Temporary Status) के कार्य का समय संस्थान के सामान्य कार्य समय सुबह 09.00 बजे से सांय 05.30 बजे तक है
(3) अस्थाई दर्जा कर्मचारियों का संस्थान द्वारा किस मद में बचत कटौती का प्रवाधान दिया गया है जैसे कि EPF या CPF .	(3) इस सन्दर्भ में संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं० ए/2-13/2007-भा०व०सं० दिनांक 29.10.2008 की छाया प्रति में सूचना संलग्न है।(संलग्नक-II) एवं (संलग्नक-I)
(4) क्या आपके संस्थान द्वारा अस्थाई दर्जा कर्मचारियों को पूरे माह का वेतन दिया जाता है, वेतन विवरण देने की कृपा करें।	(4) उपरोक्त सूचना (संलग्नक-I) में प्रदान की गई सूचना में कवर कर दी गई है।
(5) क्या संस्थान द्वारा अस्थाई कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश दिया जाता है।	(5) इस सन्दर्भ में संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं० ए/2-13/2007-भा०व०सं० दिनांक 01.05.2009 की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-III)
(6) क्या अस्थाई कर्मचारियों को भारत सरकार के नियमानुसार चिकित्सा सुविधा देय है, विवरण देने की कृपा करें।	(6) उपरोक्त सूचना (संलग्नक-II) में प्रदान की गई सूचना में कवर कर दी गई है।

संलग्नक: यथोपरि

INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI


(पी०के० अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी


(टी० के० आहूजा)
अनुभाग अधिकारी


31/8/18
CPYO DB 08/08/18

ATTESTED

CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

SH. RAM SUNDER PRASAD ~~YADAV~~ YADAV
CDL [Temp. Status]

Month	Basic Pay	DA 5%	HRA 16%	TPT. ALL 1800+DA	Gross Wages	WII EC PF 10%	Waste Management	Staff Welfare	CCELR	T-Tax	Net wages	Sign.
March 18	26400	1320	4224	1890	33834	2640	25	25	25	9,570	31,144-	15-18
	Anexr of 7 CPC Jan 16 - Feb 18				94532	9453					75,579-	15-18
	DA Anexr (Jan-March) 1584 + 108				1692						1692-	15-18
	DA 7%											234-12
April 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25	25	—	31,708-	15-18
May 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25	25	—	31,708-	15-18
June 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25	25	—	31,708-	15-18
	Revised Anexrs of 7 CPC (Recovery of EC PF)				18652						18652-	15-18
	(Movement wages)										2657-	15-18
July 18	27200	1904	4352	1926	35382	2720 + 2657	25	25	25	—	29,955-	15-18

INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI

[Signature]

Finance Officer
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Chandrabani, Dehradun

ATTESTED

[Signature]
CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

Month	Basic Pay	DA 5%	HRA 16%	GPF ALL 1800+DA	Gross Wages	WII ECPP 10%	Staff Welf.	CYEN	ITax.		Net wages	Sign
March 18	26400	1320	4224	1890	33834	2640	25	25			31144-	Hs
7th CPC Annex Jan 16 to Feb 18					94522	94522			9000		75578-	Hs 23-18
DA Annex (Jan-March) 184					108	1692					1692-	Hs
DA 7%												
April 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25			31708-	Hs
May 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25			31708-	Hs
June 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25			31708-	Hs
Revised Amount of 7CPC (Recovery of ECPP)						18672						
Increment												
July 18	27200	1904	4352	1926	35382	27200	25	25			29912-	Hs
						2657						

INFORMATION PROVIDED UNDER RTI

ATTESTED
CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

Finance Officer
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Chandrabani, Dehradun

ATTESTED
CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

Finance Officer
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Chandrabani, Dehradun

Month	Basic Pay	DA 5%	HRA 16%	TPT-ALL. 1800+DA	Gross Wages	DI ECPF 10%	Waste Mgmt Staff Welfare	GEIS/ HL fee	E/W/Bus	Net Wages	Sign
March 18	26400	1320	—	1890	29610	2640	50/25	25/310	235/250	26075—	H
	7th CPC Annex	Jan 16 to Feb 18			94,532	9,453			I-Tax 9,500	75,579—	H
	DA Annex Jan March 18			108	1692					1692	H
		DA 7%									
April 18	26400	1848	—	1926	30174	2640	50/25	25/310	162/250	26712—	H
May 18	26400	1848	—	1926	30174	2640	50/25	25/310	324/—	26800—	H
June 18	26400	1848	—	1926	30174	2640	50/25	25/310	291/—N/L	26833—	H
	Revised Annex of 7 CPC (Recovery of ECPF)					18652				2657—5	Intermed ECPF
	Increment										
July 18	27200	1904	—	1926	31030	2720+2652	50/25	25/310	308/250	24685—	H

ATTESTED
CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

Finance Officer
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Chandrabani, Dehradun

ATTESTED
CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

**INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI**

Finance Officer
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Chandrabani, Dehradun

Month	Basic Pay	DA 5%	HRA 16%	FPT. ALL 1800+DA	Gras Wages	Will ECPF 10%	C4EGIS	Staff Welfare	I-Tax	Net wages	Sign
March 18	26400	1320	4224	1890	33834	2640	25	25		31144-	He
	7th CPC Annex		Jan 16 to Feb 18	108	94,532	9453			9,500	75,579-	He
	DA Annex Jan-Mar 1584				1692					1692	He
		DA 7%									
April 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25		31708-	He
May 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25		31708-	He
June 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25		31708-	He
	Recovery of 20 ECPF from revised annex of 7th CPC					18659					He
July 18	27200	1904	4352	1926	35382	27200+3617	25	25		29955-	He
											He

INFORMATION PROVIDED UNDER RTI

INFORMATION PROVIDED UNDER RTI

ATTESTED

CPJO, Wild Life Institute of India, Dehradun

[Signature]

Finance Officer
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Chandrabani, Dehradun

Month	Basic Pay	DA 5%	HRA 16%	TPT. ALL. 1800+DA	Gross Wages	Wt ECPF 10%	CGEIS Wastage	Staff Welfare	HL Fee/ E/W.	I-Tax	Net Wages	Sign
March 18	26400	1320	NIL	1890	39610	2640	25/50	25	310/441	9,500	26,119-	H
for CPE arrears from Jan 16 to Feb 18 97,532 9,532											1692	H
DA Arrear Jan-Mar 1584				108		1692						
DA 7%												
April 18	26400	1848	—	1926	30174	2640	25/50	25	310/449	—	26,675-	H
May 18	26400	1848	—	1926	30174	2640	25/50	25	310/433	—	26,691-	H
June 18	26400	1848	—	1926	30174	2640	25/50	25	310/417	—	26,707-	H
Recovery of ECPF from Retired Arrears of ECPF 1802											267-51 mt.	H
Increment											27,826-	H
July 18	27200	1904	—	1926	31030	2720	25/50	25	310/412	—		

ATTESTED

CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

INFORMATION PROVIDED
UNDER RTIFinance Officer
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Chandrabani, Dehradun

Month	Basic Pay	DA 5%	RA 16%	TPT. ALL. 1800+DA	Gross Wages	10% ECF	Stab. Welfar	CHEQU	IFAR		Net Wages	Sign
March 18	26400	1320	4224	1890	33834	2640	25	25			31,174	15
	7th CPC Annexure	Jan 16 to Feb 18			94,532	9453			2,500		75,579	15
	DA Annex Jan-March		1584	108	1692						1692	15
		DA 7%										
April 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25			31,708	15
May 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25			31,708	15
June 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25	25			31,708	15
	Recovery of Increment	ECF from Revised 7th CPC Annex				18652					26400 - 5th CPC ECF 1800	
July 18	22800	1904	4252	1926	35382	2280	25	25			29905	15
						2657						

INFORMATION PROVIDED UNDER RTI

INFORMATION PROVIDED UNDER RTI

ATTESTED

CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

Baliy

Finance Officer
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Chandrabani, Dehradun

Month	Basic Pay	DA 5%	HRA 16%	T.P.T. All 1800+DA	Gross Wages	10% WII ECPF	Staff Welf. C.A.E.G.N.S	I-Tax		Net Wages	Sign
March 18	26400	1320	4224	1890	33834	2640	25/25			31,194-	H
	7th CPC Arrears Jan 16 to Feb 18				91,532	943		9,500		75,578-	H
	DA Arrear Jan-March 18				1584	108				1692-	H
	DA 7%										
April 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25/25			31,708-	H
May 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25/25			31,708-	H
June 18	26400	1848	4224	1926	34398	2640	25/25			31,708-	H
	Recovery of ECPF from revised 7th CPC Arrears Increment					18612				2617-5144	H
										2617-5144	H
July 18	27200	1904	4352	1926	35382	2720+2617	25/25			29,955-	H

INFORMATION PROVIDED UNDER RTI

INFORMATION PROVIDED UNDER RTI

ATTESTED
CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

Finance Officer
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Chandrabani, Dehradun

भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी देहरादून

सं० ए/2-13/2007-भा0व0सं०

दिनांक: 29.10.2008

कार्यालय ज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा वाद सं. 1719/(S/S)/2001 के विषय में दिये गये दिनांक 22.8.2003 के निर्णय के अनुपालन में एवं भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 51016/2/90-स्था. (सी.) दिनांक 10.9.1993 के पैटर्न पर निम्नलिखित 14 (चौदह) दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को दिनांक 15.1.1996 के अनुसार उनकी मजदूरी (wages) की गणना के लिए विशेष प्रतिपूरक भत्ता या प्रतिपूरक (नगर) भत्ता या मिश्रित पर्वतीय प्रतिपूरक भत्तों में से जो भी एक लाभकारी हो, देय होगा। चिकित्सा सुविधा संस्थान के नियमों के अनुसार देय होगी।

यह अस्थायी स्टेटस भारत सरकार की दैनिक श्रमिकों को अस्थायी स्टेटस तथा नियमितकरण प्रदान किये जाने की योजना के अन्तर्गत रुपये 2550-55-2660-60-3200 के वेतनमान में वर्ग 'घ' पदों की श्रेणी में प्रदान किया जाता है:

1. श्री ईश्वर बहादुर
2. श्री निरंजन भण्डारी
3. श्री सुनील सुन्दरियाल
4. श्री बासुदेव
5. श्री राम सुन्दर प्रसाद यादव
6. श्री पारस नाथ
7. श्री राम सिंह गुरुंग
8. श्री प्रकाश बरदेवा
9. श्री किशन सिंह बिष्ट
10. श्री बाबादीन
11. श्री पोरमा बोरो
12. श्री चित्रपाल सिंह बिष्ट
13. श्री ललित सिंह नेगी
14. श्री सुधीर कुकुरेती

INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI

वर्ग 'घ' पदों पर अस्थायी स्टेटस प्रदान करने के सम्बन्ध में निबंधन एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. वे नियमित वर्ग 'घ' कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमान के न्यूनतम वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता एवं सी.सी.ए. सहित दैनिक आधार पर मजदूरी (Wages) प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसके लिए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 3(2) 95-ई-॥(बी) दिनांक 15 जनवरी 1996 के अनुसार उनकी मजदूरी (wages) की गणना के लिए विशेष प्रतिपूरक भत्ता या प्रतिपूरक (नगर) भत्ता या मिश्रित पर्वतीय प्रतिपूरक भत्तों में से जो भी एक लाभकारी हो, देय होगा। चिकित्सा सुविधा संस्थान के नियमों के अनुसार देय होगी।

उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ वर्ग 'घ' कर्मचारियों पर लागू दर के समान इस शर्त पर प्रदान किया जायेगा कि उन्होंने अस्थायी स्टेटस प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष में कम से कम 206 दिन तक ड्यूटी की हो।

ATTESTED

CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

प्रशा. अधिकारी / Administrative Officer
भारतीय वन्यजीव संस्थान
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
चन्द्रबनी, देहरादून / Chandrabani, Dehradun

3. वे प्रत्येक दस दिन की कार्य अवधि के लिए यथानुपात में एक दिन के अवकाश के हकदार होंगे। उन्हें आकस्मिक अथवा अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। नियमितकरण के समय, उनके खाते में शेष अवकाश को आगे के अवकाश में जोड़ने की अनुमति होगी। परन्तु उनके द्वारा सेवाकाल समाप्त किये जाने अथवा कार्यालय द्वारा सेवामुक्त किये जाने पर वे अवकाश के नगदीकरण के लाभ के हकदार नहीं होंगे।
4. **वर्ग 'घ' पदों पर नियमितकरण योजना:** नियमितकरण इस सिद्धान्त पर किया जायेगा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान में, जहां ये दैनिक वेतनभोगी श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वर्ग 'घ' श्रेणी में भरे जाने वाले प्रत्येक तीन पदों में से दो पद इन अस्थायी स्टेटस वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों द्वारा वर्तमान भर्ती नियमों के आधार पर भरे जायेंगे। फिर भी, किसी भी कारण से अधिशेष (surplus) घोषित किये गये संस्थान के नियमित वर्ग 'घ' कर्मचारी वर्तमान/भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर आमेलन (absorption) के लिए पहले हकदार होंगे। अनपढ़ (illiterate) दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए या पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूर्ण न करने की दशा में, नियमितकरण केवल उन्हीं पदों पर किया जायेगा, जिन पदों के लिए साक्षरता या न्यूनतम योग्यता अपेक्षित योग्यता न हो। उन्हें केवल उतनी अवधि के लिए आयु में छूट प्रदान की जायेगी, जिस अवधि के लिए उन्होंने दैनिक श्रमिक के रूप में लगातार कार्य किया होगा। नियमितकरण के पश्चात् उनके द्वारा अस्थायी स्टेटस के दौरान की गई सेवा का पचास (50) प्रतिशत भाग सेवा निवृत्ति लाभों के लक्ष्य के लिए जोड़ा जायेगा। अस्थायी स्टेटस वाले दैनिक श्रमिक के नियमितकरण पर, उसके स्थान पर अन्य प्रतिस्थानी (Substitute) को नियुक्त नहीं किया जायेगा क्योंकि वह किसी पद पर कार्यरत नहीं था।
5. अस्थायी स्टेटस प्रदान किए जाने के बाद लगातार तीन वर्ष के सेवाकाल के पश्चात्, उन्हें सामान्य भविष्यनिधि में अंशदान करने के लिए अन्य अस्थायी वर्ग 'घ' कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जायेगा एवं इसके साथ ही अन्य अस्थायी वर्ग 'घ' कर्मचारियों के लिए लागू शर्तों पर त्यौहार अग्रिम, बाढ़ अग्रिम के हकदार होंगे, बशर्ते वे इसके लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के दो स्थायी कर्मचारियों की जमानतें कार्यालय में प्रस्तुत करें।
6. जब तक वे नियमित नहीं होते, तब तक वे दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए लागू प्रोडक्टिविटी लिंकड बोनस/तदर्थ बोनस के हकदार होंगे।
7. उन्हें उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
8. उनकी सेवाओं को एक माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार एक माह का लिखित नोटिस देकर वे भी अपनी सेवायें छोड़ सकते हैं। नोटिस अवधि में wages का भुगतान केवल उन्हीं दिनों के लिए किया जायेगा जितने दिन उन्होंने वास्तव में कार्य किया होगा।

INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI

(पी.के. अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को (दैनिक वेतनभोगी श्रमिक)
2. वित्त अधिकारी
3. क्षेत्र तकनीकी अधिकारी/सहायक सम्पदा अधिकारी
4. सम्बन्धित व्यक्ति की व्यक्तिगत मिसिल/सेवा पंजिका
5. गार्ड

CPD Wild Life Institute of India, Dehradun

प्रशा. अधिकारी / Administrative Officer
भारतीय वन्यजीव संस्थान
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
चन्द्रबनी, देहरादून / Chandrabani, Dehradun

भारतीय वन्य जीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून

सं.ए/2-13/2007-भा0व0सं0

दिनांक: 29 अक्टूबर, 2010

कार्यालय आदेश

INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI

आपके दिनांक 27.07.2010 के प्रत्यावेदन व दिनांक 18.10.2010 को निदेशक महोदय के समक्ष उनके कक्ष में की गई चर्चा के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि जैसा कि पूर्व में इस कार्यालय के दिनांक 29.10.2008 के कार्यालय आदेश के पैरा 4 द्वारा आपको अवगत किया जा चुका है कि संस्थान में लागू वर्ग घ के पदों को नियमितीकरण करने की योजना के अनुसार आपको संस्थान में नियमित किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत भविष्य में रिक्त होने वाले प्रत्येक तीन पदों में से दो पद अस्थायी स्टेटस वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों द्वारा वर्तमान भर्ती नियमों के आधार पर भरे जायेंगे। इस सम्बन्ध में नियमितीकरण योजना के अन्तर्गत ही संस्थान द्वारा आपको संस्थान में नियमित किया जायेगा है, समय (नियमितीकरण की तिथि) इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है। (Annexure - I)

2. ग्रेड-पे:- इसके अतिरिक्त आपको देय अन्य लाभ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत ही प्रदान किए जाएंगे। जहाँ तक 1800/- ग्रेड-पे का प्रश्न है। यह आपको भारत सरकार, DOPT के कार्यालय ज्ञापन सं० 49011/31/2008-Estt (C) के अन्तर्गत अभी देय नहीं है।

3. सरकारी आवास सुविधा:- सरकारी आवास की सुविधा के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान की शासी निकाय की बैठक में उक्त सुविधा प्रदान करना विचाराधीन है।

4. अवकाश:- जैसा कि आपको दिनांक 29.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सूचित किया जा चुका है कि प्रत्येक दस कार्य दिवस के लिए यथा अनुपात एक दिन का अवकाश देय होगा। जो कि अगले वर्ष संचित कर दिया जायेगा। इस अवकाश के अतिरिक्त पितृत्व अवकाश भी भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत देय होगा। मेडिकल अवकाश व अन्य कारणों से लिए गये अवकाश उपरोक्त उपार्जित अवकाश से ही देय होंगे।

ATTESTED

CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

प्रशा. अधिकारी / Administrative Officer
भारतीय वन्यजीव संस्थान
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
चन्द्रबनी, देहरादून / Chandrabani, Dehradun

P.T.O

5. बोनस:- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत ही तदर्थ बोनस का भुगतान देय होगा।

**INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI**

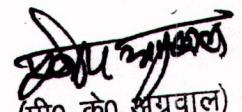
6. पे-स्लिप व अवकाश यात्रा भत्ता :- वर्तमान में पे-स्लिप व अवकाश यात्रा भत्ता देय नहीं है, इन सुविधाओं का लाभ आपके नियमित होने के पश्चात ही देय होगा।

7. पेंशन सुविधा:- पेंशन सुविधा का लाभ आपके नियमितीकरण के पश्चात ही नियमानुसार देय होगा।

8. शैक्षणिक भत्ता (Children Education Allowance) :- (Children Education Allowance), बच्चों के शैक्षणिक भत्ते का भुगतान आपके नियमितीकरण के पश्चात ही देय होगा।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

**INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI**


(पी० के० अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :-

1. श्री ईश्वर बहादुर, सी०डी०एल० (Temp. Status)
2. श्री निरंजन भण्डारी, सी०डी०एल० (Temp. Status)
3. श्री सुनिल सुन्दियाल, सी०डी०एल० (Temp. Status)
4. श्री बासुदेव, सी०डी०एल० (Temp. Status)
5. श्री राम सुन्दर प्रसाद, सी०डी०एल० (Temp. Status)
6. श्री पारस नाथ, सी०डी०एल० (Temp. Status)
7. श्री राम सिंह गुरंग, सी०डी०एल० (Temp. Status)
8. श्री प्रकाश बरदेवा, सी०डी०एल० (Temp. Status)
9. श्री किशन सिंह बिष्ट, सी०डी०एल० (Temp. Status)
10. श्री बाबादीन, सी०डी०एल० (Temp. Status)
11. श्री पी० बोरो, सी०डी०एल० (Temp. Status)
12. श्री चित्रपाल सिंह बिष्ट, सी०डी०एल० (Temp. Status)
13. श्री ललित सिंह नेगी, सी०डी०एल० (Temp. Status)
14. श्री सुधीर कुकरेती, सी०डी०एल० (Temp. Status)

ATTESTED
CPIO Wild Life Institute of India, Dehradun


प्रशा. अधिकारी / Administrative Officer
भारतीय वन्यजीव संस्थान
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
चन्द्रबनी, देहरादून / Chandrabani, Dehradun

भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी देहरादून

INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI

सं० ए/2-13/2007-भा०व०सं०

दिनांक: 01.05.2009

कार्यालय आदेश

संदर्भ : कार्यालय आदेश संख्या ए/2-13/2007-भावसं. दिनांक 29 अक्टूबर 2008 -
दैनिक श्रमिकों को अस्थायी स्टेटस प्रदान किया जाना।

उपरोक्त संदर्भित कार्यालय आदेश के द्वारा 14 दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की "दैनिक श्रमिकों को अस्थायी स्टेटस तथा नियमितकरण योजना" के अन्तर्गत अस्थायी स्टेटस प्रदान किया गया था। इस सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि वित्त अनुभाग द्वारा उन 14 दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उक्त आदेश में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें देय मजदूरी से अधिक का भुगतान हो गया है। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्देश किए जाते हैं।

INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI

1. उपरोक्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान की गणना संस्थान के वर्ग 'घ' के नियमित कर्मचारी को देय न्यूनतम वेतन के बराबर केवल उन्हीं दिनों के लिए देय होगी, जिन दिनों उन्होंने वास्तव में कार्य किया है। Paid साप्ताहिक अवकाश केवल उन्हीं दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को देय होगा, जिन्होंने सप्ताह में छः दिन कार्य किया है। यदि उन्होंने सप्ताह में पाँच दिन कार्य किया है तो उन्हें उस स्थिति में paid साप्ताहिक अवकाश देय नहीं होगा। तदनुसार क्षेत्र तकनीकी अधिकारी द्वारा दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की मजदूरी का बिल, उनकी उपस्थिति के आधार पर, वित्त अनुभाग को भुगतान हेतु प्रत्येक माह की समाप्ति पर प्रेषित किया जाएगा।
2. उपरोक्त के आलोक में क्षेत्र तकनीकी अधिकारी सभी 14 दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों का दिनांक 01 सितम्बर 2003 से दिनांक 30 अप्रैल 2009 तक की उपस्थिति का ब्यौरा वित्त अधिकारी को भेज दें ताकि तदनुसार अधिक भुगतान की राशि उनके देय arrear से समायोजित कर शेष राशि का भुगतान किया जा सके।
3. उपरोक्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की सेवा पंजिका का रख-रखाव क्षेत्र तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

ATTESTED

CPIO Wild Life Institute of India, Dehradun

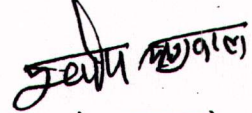
प्रशा. अधिकारी

प्रशा. अधिकारी / Administrative Officer
भारतीय वन्यजीव संस्थान
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
चन्द्रबनी, देहरादून / Chandrabani, Dehradun

4. उपरोक्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को केवल राष्ट्रीय अवकाश (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयन्ती) ही देय होंगे। राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) देय नहीं होंगे।
5. जहां तक सामूहिक बीमा योजना (CGEIS) सुविधा उक्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए लागू करने का प्रश्न है, यह निर्णय लिया जाता है कि यह सुविधा उन्हें एल.आई. सी. सी.जी.ई.आई.एस. योजना के तहत प्रदान की जायेगी, जिसका अंशदान रु० 25/- (रुपये पच्चीस मात्र) प्रतिमाह प्रत्येक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक द्वारा उनकी मजदूरी से किया जायेगा।
6. उपरोक्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को वाहन भत्ता (Transport Allowance) भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 49014/3/97-Estt.(C) दिनांक 1.4.1998 के अनुसार रुपये 75/- प्रतिमाह दिनांक 1.9.2003 से 31.8.2008 तक तत्पश्चात् दिनांक 1.9.2008 से रुपये 400/- + डी.ए. के अनुसार दिया जायेगा।
7. उपरोक्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों का नियत दरों पर लागू भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसका अंशदान उनको देय मासिक मजदूरी से किया जाएगा एवं जिसके लिए उक्त अंशदान के दशबर की धनराशि का अंशदान संस्थान द्वारा भी किया जाएगा, जिसका लेखा-जोखा वित्त अनुभाग द्वारा रखा जायेगा।
8. संस्थान द्वारा जारी दिनांक 29.10.2008 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 के अन्तर्गत उक्त दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की सेवाओं का नियमितिकरण किया जाएगा। तत्पश्चात् नियमितिकरण की तिथि से इनके वेतन का निर्धारण वर्ग 'घ' कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान के न्यूनतम पर किया जाएगा व नियमितिकरण की तिथि से ही उन्हें नयी पेंशन योजना 2004 की सुविधा प्रदान की जायेगी।

उक्त आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से प्रदान किये जाते हैं।

**INFORMATION PROVIDED
UNDER RTI**

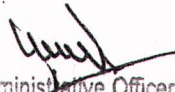

(पी. के. अग्रवाल)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :-

1. सम्बन्धित दैनिक वेतनभोगी श्रमिक
2. वित्त अधिकारी
3. क्षेत्र तकनीकी अधिकारी
4. गार्ड फाइल

ATTESTED

CPIC Wildlife Institute of India, Dehradun


प्रशा. अधिकारी / Administrative Officer
भारतीय वन्यजीव संस्थान
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
चन्द्रबनी, देहरादून / Chandrabani, Dehradun